

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

### आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1544 / 2023

दिनांक : 17.05.2023


श्री विनोद कुमार बागड़ी (RJ00714), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर) को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 27.03.2023 का एक दिवस का उपार्जित अवकाश दिनांक 23.03.2023 व 25.03.2023 से 26.03.2023 के राजपत्रित अवकाशों एवं 24.03.2023 के स्थानीय अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित।
2. दिनांक 28.03.2023 से 29.03.2023 तक 02 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 30.03.2023 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित।

श्री बागड़ी की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बयाना (भरतपुर) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 16.05.2023

कमांक:-स्था.बी.2(4)/84/2011/3297

दिनांक : 17.05.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 1909 दिनांक 10.04.2023 के सन्दर्भ में।
3. श्री विनोद कुमार बागड़ी (RJ00714), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर)।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बयाना (भरतपुर)।

  
17.5.2023  
सहायक रजिस्ट्रार